

14.06.2024

वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज सिगह से तलब की गई। पत्रावली पैश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद प्रकरण में तहसीलदार भीलवाड़ा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राप्त विभाजन के अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।


3. नारायण लाल पिता केदारलाल जाति लढढा सा0 2 एफ 11 आर. सी. व्यास कालोनी भीलवाड़ा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
6871/2	0.0082	—
6872/2	0.1011	—
किता 02	0.1093 है0	—

4. मूली पुत्री भूरा माली सा0 मंगलपुरा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
6871/3	0.0082	—
6872	0.1012	—
किता 2	0.1094 है0	—

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफतर दाखिल हो।


(आब्दाद निवृत्ति सोमनाथ)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)
न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाडा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी -आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

उनवान

1-श्री नारायण लाल पिता केदारलाल लढा निवासी 02-एफ-11 आर0सी0 व्यास कालोनी
भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

—वादी

बनाम

1-श्रीमति मूली पुत्री भूरा पत्नि भंवरलाल माली निवासी मंगलपुरा हॉल मुकाम पांसल तहसील
व जिला भीलवाडा।
2-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0

प्रकरण संख्या 38/2024 राजस्व वाद

वादी की ओर से अधिवक्ता श्रवण कुमार सैन उपस्थित व प्रतिवादी अनुपस्थित
में- इस वाद में आज तारीख 14.06.2024 को पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति
सोमनाथ, आई.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश
होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत अन्तिम डिक्री दी जाती है -

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध
प्रतिवादी संख्या 01 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पुर प0ह0 पुर
भू0अ0नि0 क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन
अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है उसी अनुसार भूमि
वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1. नारायण लाल पिता केदारलाल जाति लढढा सा0 2 एफ 11 आर.सी. व्यास कालोनी
भीलवाडा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज
की जावें।


आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
6871/2	0.0082	-
6872/2	0.1011	-
किता 02	0.1093 है0	-

1. मूली पुत्री भूरा माली सा0 मंगलपुरा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा
अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
6871/3	0.0082	-
6872	0.1012	-
किता 2	0.1094 है0	-

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन
अपना-अपना वहन करें।

आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा
लगाकर दी गई।


(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा